

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
सं० 18/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 9 मई, 2017

सा०का०नि० (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 12/2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम सं० 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“59क.	1511	पाम स्टियरिन, चाहे कच्चा, आरबीडी या अन्य प्रकार का हो, जिसमें 20 प्रतिशत या इससे अधिक फ्री फैटी एसिड है ।	7.5 %	-	-,
59ख.	1511	पाम स्टियरिन, चाहे कच्चा, आरबीडी या अन्य प्रकार का हो, जिसमें ओलियो कैमिकल्स के उत्पादन की दृष्टि से 20 प्रतिशत या इससे अधिक फ्री फैटी एसिड है ।	शून्य	-	5”;

(ii) क्रम सं० 187क और 187ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(फा.सं.354/73/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 13/2017-सीमा शुल्क, तारीख 13 अप्रैल, 2017 सा.का.नि. 356(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2017 द्वारा किया गया था ।